ई-अन्नदाता वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड
गाजीपुर - उ०प्र०
"विकसित किसान – विकसित भारत"
देश के अन्नदाताओं को गौरवान्वित कराने की एक अभूतपूर्व व अद्वितीय पहल

वर्ष 2047 तक किसानों को गौरव की अनुभूति कराने हेतु संचालित विभिन्न सेवाओं में शामिल किए जाने के लिए आमंत्रण सूचना

1. किसानों को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, ई–अन्नदाता कार्ड के माध्यम से कैन्टीन की सुविधा, ई–अन्नदाता सम्मानित पहचान अभियान आदि सुविधाएँ भारत सरकार के कृषि कल्याण व विकास मंत्रालय के मंशा के अनुरूप कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

क) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त व अधिकृत इकाई इस आमंत्रण में प्रतिभाग कर सकती है जो कृषि व किसान कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक हो।

ख) वे इकाई (FPO/ NGO/उद्यमी/कम्पनी) जिनके पास कार्यालय अथवा सुव्यवस्थित, सुसज्जित कार्यालय स्थापित करने हेतु क्षमता उपलब्ध हो।

ग) निकट भविष्य में हाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधन, स्थान, सहयोगी व टेक्निकल टीम भी उपलब्ध हो।

* पहाड़ी एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50% तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

2. जिन इकाईयों को कृषि एवं किसान कल्याण एवं विकास संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएँ संचालित करने का पहले से अनुभव है उन्हें विशेष वरीयता दी जायेगी।

3. अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं अग्रलिखित हैः– (i) कृषि एवं किसान कल्याण से सम्बन्धित कार्यों में अनुभव (ii) जिन इकाईयों की पहुँच कम से कम 1000 किसानों तक है। (iii) ई–अन्नदाता की सर्व योजनाओं और अभिक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्षमता एवं अवसंरचना हो। (iv) इकाई भारत सरकार या राज्य सरकारों से पंजीकृत हो। (v) गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर शपथ पत्र प्रस्तुत करना जिसमें अन्य विवरणों के लिए गारंटी हो कि हम अपना कार्य पूरी निष्ठा, तत्परता व ईमानदारी के साथ पूर्ण करेगें।

4. विस्तृत ब्यौरों एवं अधिक जानकारी के लिए इच्छुक एवं पात्र इकाई ई–अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in देख सकते है।

5. सभी प्रस्ताव ऑनलाईन ई–अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in पर प्रस्तुत किए जायेगें। जिन्होनें पिछले वर्षों में पहले भी आवेदन किया हो अथवा योजना के कार्यान्वयन में दिलचस्पी रखते हों, वह भी दुबारा ई–अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in पर आवेदन कर सकते है। प्रस्तावों के साथ समस्त प्रपत्र, गैर न्यायिक शपथ पत्र 15 कार्यावधि में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजें। तथापि कृपया नोट करें कि प्रस्तावों की जांच केवल ई–अन्नदाता वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए ऑनलाइन प्रस्तावों के आधार पर ही की जायेगी।

6. इसके बारे में आवेदन फार्म पूरा भरा होना चाहिए तथा संस्थान के अध्यक्ष/सचिव/सीईओ/अध्यक्ष/संगठन के पंजीयक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए।

7. प्रस्तावों का मूल्यांकन ऑनलाइन उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में दिए गए विभिन्न मापदण्डों की क्षमता पर अधिमान आधार पर किया जाएगा।

8. ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत कोई अनुपूरक दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. अधूरे प्रपत्र बिना किसी सूचना अस्वीकार कर दिए जायेगें।

10. ई–अन्नदाता वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित **"नेशनल फार्मर वीक 17 से 23 दिसम्बर 2023"** में आवेदन पूर्ण करने वाले इकाई (स्टेट पार्टनर/डिस्ट्रिक्ट पार्टनर) अथवा ई–अन्नदाता केयर सेण्टर को अतिरिक्त सब्सिडी (75% तक) दिया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक इकाई ई–अन्नदाता की हेल्पलाइन 1800–208–5254 (टोल फ्री) पर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच सम्पर्क कर सकते है।

निदेशक
ई–अन्नदाता
वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड
गाजीपुर – उ0प्र0
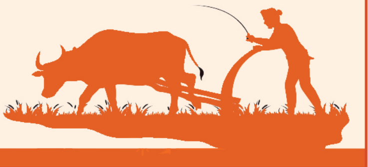
मिशन–2047